BPSC – 132

INDIAN GOVERNMENT AND POLITICS.

MOST IMPORTANT QUESTIONS

WITH FREE PDF'S

HINDI AND ENGLISH BOTH

MUST WATCH FOR DECEMBER 2024 EXAMINATION

Part -2

Scholarly Minds

1. Discuss the essential features of the Indian Constitution.

1. Federal System of Government

The Indian Constitution establishes a federal system of government, with a division of powers between the central government and state governments. The Constitution also provides for a strong central government to maintain unity and integrity.

संघीय सरकार की व्यवस्था

भारतीय संविधान संघीय सरकार की व्यवस्था को स्थापित करता है, जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण होता है। संविधान एक मजबूत केंद्रीय सरकार के लिए प्रावधान भी करता है ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे।

2. Parliamentary System of Government

India follows a parliamentary system of government, where the executive is drawn from the legislature. The President is the nominal executive head, while the Prime Minister is the real head of the government, with a Council of Ministers.

संसदीय शासन व्यवस्था

भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जहाँ कार्यपालिका विधायिका से निकलती है। राष्ट्रपति का पद केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं, जिनके साथ मंत्रियों की परिषद होती है।

3. Secular State

India is a secular state, which means there is no state religion, and all religions are treated equally. The Constitution guarantees freedom of religion, allowing people to practice, profess, and propagate any religion of their choice.

धर्मनिरपेक्ष राज्य
भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि यहां कोई राज्य धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है। संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिससे लोग अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार रखते हैं।

4. Sovereign State

India is a sovereign state, meaning it has complete authority over its territory, both internally and externally. The Constitution grants India the power to make its own laws and conduct foreign affairs without interference.

संप्रभु राज्य
भारत एक संप्रभु राज्य है, जिसका अर्थ है कि इसके पास अपनी सीमा के भीतर और बाहरी स्तर पर पूरी अधिकारिता है। संविधान भारत को अपने स्वयं के कानून बनाने और विदेशी मामलों में हस्तक्षेप के बिना कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है।

5. Independent Judiciary

The Indian Constitution provides for an independent judiciary, which ensures the rule of law and checks the powers of the government. The judiciary has the power of judicial review, meaning it can declare laws unconstitutional if they violate the Constitution.

स्वतंत्र न्यायपालिका
भारतीय संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, जो कानून के शासन को सुनिश्चित करता है और सरकार की शक्तियों पर निगरानी रखता है। न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो वह उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

6. Fundamental Rights

The Constitution provides a set of Fundamental Rights to the citizens of India, including the right to equality, freedom of speech, protection from discrimination, and protection of life and personal liberty. These rights are justiciable, meaning they can be enforced in a court of law.

मूल अधिकार
संविधान भारतीय नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान करता है, जिसमें समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भेदभाव से सुरक्षा, और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल हैं। ये अधिकार न्यायिक रूप से लागू होते हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें कानून की अदालत में लागू किया जा सकता है।

7. Directive Principles of State Policy

The Directive Principles of State Policy guide the government in making laws and policies for the welfare of the people. Although they are not enforceable by law, they serve as a moral guide for the state.

Scholarly Minds

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत
राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत सरकार को नागरिकों की भलाई के लिए कानून और नीतियाँ बनाने में मार्गदर्शन करते हैं। हालांकि ये कानूनी रूप से लागू नहीं होते हैं, लेकिन ये राज्य के लिए एक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं।

8. Republic

India is a republic, which means the head of the state is elected. The President of India is elected by an electoral college and holds the office for a term of five years.

गणराज्य
भारत एक गणराज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्य का प्रमुख चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को एक चुनावी कॉलेज द्वारा चुना जाता है और वे पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए पद पर रहते हैं।

9. Single Citizenship

India provides for a single citizenship for all its citizens, meaning that every citizen of India is a citizen of the country, and no separate state citizenship exists.

एकल नागरिकता
भारत अपने सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश का नागरिक होता है और कोई अलग राज्य नागरिकता नहीं होती।

10. A Living Document

The Constitution is a living document, which means it is flexible and can be amended to meet the changing needs of society. Amendments can be made by Parliament, but certain provisions require a special procedure to be followed.

एक जीवित दस्तावेज़
संविधान एक जीवित दस्तावेज़ है, जिसका अर्थ है कि यह लचीला है और समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन संसद द्वारा किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रावधानों के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है।

Scholarly Minds

2. Analyse the emergency powers of the President of India.

The emergency powers of the President of India are outlined in Part XVIII of the Indian Constitution, covering Articles 352 to 360. These powers allow the President to take extraordinary measures in times of crisis to protect the integrity, sovereignty, and stability of the nation. There are three types of emergencies that the President can declare: National Emergency, State Emergency (President's Rule), and Financial Emergency.

भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार
भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार भारतीय संविधान के अंश XVIII (धारा 352 से 360 तक) में दिए गए हैं। ये अधिकार राष्ट्रपति को संकट की स्थितियों में देश की अखंडता, संप्रभुता और स्थिरता

को बनाए रखने के लिए असाधारण कदम उठाने की अनुमति देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाने वाले तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन), और वित्तीय आपातकाल।

1. National Emergency (Article 352)

National Emergency can be declared when the security of India or any part of its territory is threatened by war, external aggression, or armed rebellion. Once declared, the President can take over the executive powers of the states, and the Union Government gains the authority to legislate on matters in the State List.

राष्ट्रीय आपातकाल (धारा 352)
राष्ट्रीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरे में हो। एक बार घोषित होने पर, राष्ट्रपति राज्यों के कार्यकारी अधिकारों को अपने पास ले सकते हैं, और केंद्र सरकार राज्य सूची के मामलों पर विधायी अधिकार प्राप्त कर लेती है।

2. President's Rule (State Emergency) (Article 356)

If the President believes that the governance of a state cannot be carried out according to the provisions of the Constitution, due to failure of constitutional machinery, the President can impose President's Rule. This dissolves the state legislative assembly and the President can directly govern the state through a centrally appointed governor.

राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) (धारा 356)
यदि राष्ट्रपति यह मानते हैं कि किसी राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि संविधानिक मशीनरी विफल हो गई है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इससे राज्य विधान सभा को भंग किया जा सकता है और राष्ट्रपति राज्य को सीधे केंद्रीय नियुक्त गवर्नर के माध्यम से शासित कर सकते हैं।

3. Financial Emergency (Article 360)

A Financial Emergency can be proclaimed if the President feels that the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened. During this emergency, the President can direct the reduction of salaries and allowances of government employees and can also intervene in financial matters of the state.

वित्तीय आपातकाल (धारा 360)
वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति को यह लगे कि भारत या इसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट खतरे में है। इस आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती करने का निर्देश दे सकते हैं और राज्य के वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

4. Procedure for Declaration of Emergency

For the National Emergency, the President can declare it only on the written recommendation of the Cabinet. The declaration must be approved by both Houses of Parliament within a

Scholarly Minds

month. For President’s Rule and Financial Emergency, the declaration also needs to be approved by Parliament, with a specific timeframe.

आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया
राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, राष्ट्रपति इसे केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर घोषित कर सकते हैं। घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा एक महीने के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के लिए भी संसद से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, और इसके लिए एक विशिष्ट समयसीमा होती है।

5. Impact of Emergency Powers

During the National Emergency, the fundamental rights of citizens can be suspended, except for those related to the life and personal liberty. During the President's Rule, the state’s legislative powers are transferred to the Union Government, and the state assembly is dissolved. In a Financial Emergency, the central government assumes greater control over the financial matters of the state.

आपातकालीन अधिकारों का प्रभाव
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, सिवाय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों के। राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य की विधायी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार को सौंप दी जाती हैं और राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है। वित्तीय आपातकाल में, केंद्रीय सरकार राज्य के वित्तीय मामलों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लेती है।

6. Criticism and Safeguards

The emergency provisions have often been criticized for their potential misuse, especially during periods of political instability. However, the Constitution has included safeguards such as the requirement for Parliamentary approval for the declaration of emergency and the limitation on the suspension of fundamental rights. The judiciary also acts as a check on the abuse of these powers.

आलोचना और सुरक्षा उपाय
आपातकालीन प्रावधानों की अक्सर आलोचना की जाती है, विशेष रूप से राजनीतिक अस्थिरता के दौर में इनके दुरुपयोग की संभावना को लेकर। हालांकि, संविधान में सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है, जैसे आपातकाल की घोषणा के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता और मौलिक अधिकारों के निलंबन पर सीमा। न्यायपालिका भी इन अधिकारों के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है।

7. Historical Use of Emergency Powers

Emergency powers have been invoked several times in India. The most notable example was during the Emergency declared in 1975 by then-Prime Minister Indira Gandhi, which lasted for 21 months and led to the suspension of many civil liberties.

आपातकालीन अधिकारों का ऐतिहासिक उपयोग
भारत में आपातकालीन अधिकारों का कई बार उपयोग किया गया है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल है, जो 21 महीने तक चला और इसके कारण कई नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन हुआ।

Scholarly Minds

Scholarly Minds